...मांगा दिनांक 7/1/2025
...के तहत 125, 144, 150, 151 दंड
...संहिता का वाद पत्रावली द्वारा
...पंजकुला तहसील व जिला कैथल की
...अधिनियम लागू नहीं होगा। अधि. की धारा
...125, 144, 150, 151 को न्यायालय द्वारा
...द्वारा त्यागन अदेश दि. सुनाया जाता है।
...पत्रावली वास्ते तामील रेस्पोडेन्ट दिनांक
...11/2/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

21/2/25 पत्रावली अपीलान्ट द्वारा मिसल तलबी का आवेदन प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अपीलान्ट द्वारा आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में चुनौती दी गई थी। हक, अधिकारों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। अब अपीलान्ट व रेस्पो. न. 1 के मध्य बाहमी तौर पर राजीनामा हो गया है। अतः अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अपील को खारिज करवाना चाहते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत एक अधिकारी की सुरक्षा रखते हुए अपील को खारिज करने बाबत पेश आवेदन को स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की पहचान अधि. अपीलान्ट जयन्त ओला द्वारा की गई। अतः अपील अपीलान्ट के अनुरोध एवं अधिवक्ता अपीलान्ट की पहचान पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसाल कुमार होकर नम्बर सुमार हो। फाइल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर